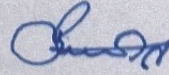


कार्यालय उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
अनुलब्धता प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रार, हि0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय, जिला हमीरपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक HimTU-4(Estate)A-8/2018-/VOL-1-6400 दिनांक 20-10-2023 के द्वारा महाल दड़ही व विकासनगर मौजा बजूरी तहसील व जिला हमीरपुर में आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित सरकारी वन भूमि स्थित महाल दड़ही में न0 खसरा 476-509-510-513-514-520-527-565/1-576-577-580-591-594/2-599-600/3-603/2-672-584-586 किता 19 रकवा 08-23-58 है0 व टीका विकासनगर के न0 खसरा 122/1-130-131-328/1-329/1-330-401/1-402-405-406/2-407-408/2-441/1-448-552/1 किता 15 रकवा 15-78-29 है0 के हस्तांतरण वारे अनुलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

उपमण्डलाधिकारी (ना0), हमीरपुर से प्राप्त सूचना अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित सरकारी वन भूमि न्यूनतम एवं अधिकतम उपयुक्त है तथा उपरोक्त प्रायोजन हेतु प्रस्तावित उक्त महालात में सरकारी वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि उपलब्ध न है।

अतः उपमण्डलाधिकारी (ना0), हमीरपुर की अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त वर्णित सरकारी वन भूमि के अतिरिक्त रजिस्ट्रार, तकनीकी विश्वविद्यालय, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को उपरोक्त प्रायोजन हेतु गैर वन भूमि की अनुलब्धता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।



(अमरजीत सिंह), भा0प्र0से0
समाहर्ता एवं उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर।

स्थान- हमीरपुर
दिनांक- फरवरी, 2024

पृष्ठांकन संख्या: 793-94/ डी.आर.ओ./एस.के./ओ.के.(एल.आर.) दिनांक: 17.02.2024

प्रतिलिपि सेवा में :-1. उपमण्डलाधिकारी (ना)-एवं-उपमण्डलीय समाहर्ता हमीरपुर, जिला हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

✓ 2. रजिस्ट्रार, हि0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय, जिला हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

हस्ता0/-
समाहर्ता एवं उपायुक्त,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर।